



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 श्रावण 1932 (श10)  
(सं0 पटना 510) पटना, शुक्रवार, 23 जुलाई 2010

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

19 जुलाई 2010

बिहार पत्रकार कल्याण कोष नियमावली- 2010

(बिहार सरकार द्वारा पत्रकारों की सहायता के लिए पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना एवं पत्रकारों को साहाय्य देने संबंधी नियम)

सं0 प्रेस-311/08-39-380 सू०ज०स०वि०—भारत संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन कार्यपालक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

1. शीर्षक—इसे बिहार राज्य मुख्यालय एवं जिला/अनुमंडल/प्रखंड स्तर पर कार्यरत मीडिया प्रतिनिधियों/छायाकारों को साहाय्य प्रदान करने/चिकित्सा हेतु बिहार पत्रकार कल्याण कोष नियमावली, 2010 कहा जायेगा।

2. इन नियमों के अधीन बिहार राज्य के पत्रकारों/छायाकारों को आर्थिक संकट/चिकित्सा के समय आर्थिक सहायता दी जायेगी।

3. आरंभ की तिथि— यह नियमावली बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

4. पत्रकार कल्याण कोष की इस नीति के द्वारा पूर्व निर्गत इस विषय से संबंधित सभी आदेश/अनुदेश, पत्रकार कल्याण कोष नियमावली 1981 सहित एतद्वारा अवक्रमित किये जाते हैं।

ऐसे आदेश/अनुदेश के अवक्रमण होते हुए भी उक्त आदेशों/अनुदेशों द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नीति के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानों यह नीति उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

5. संशोधन—राज्य सरकार समय-समय पर इस नीति के कार्यान्वयन का आकलन करेगी और आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकेगी।

6. परिभाषाएँ — इस नियमावली में, विषय और संदर्भ में जबतक अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(i) 'कोष' से अभिप्रेत है बिहार पत्रकार कल्याण कोष

(ii) 'राज्य' से अभिप्रेत है बिहार राज्य।

(iii) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार।

(iv) 'निदेशक' से अभिप्रेत है बिहार सरकार के सूचना एवं जन-सम्पर्क निदेशक।

- (v) 'पत्रकार' से अभिप्रेत है श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 (यथा समय-समय पर संशोधित एवं परिभाषित) पत्रकार/छायाकार/ संपादक/ समाचार संपादक/उप संपादक/व्यंग्य चित्रकार/जो किसी दैनिक/ साप्ताहिक/पाक्षिक समाचार पत्र/पत्रिका/एजेंसी/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/ न्यूज पोर्टल/चैनल, न्यूज एजेंसी आदि से संबंध हो, (इनमें अनुबंध/ स्ट्रींगर, संवाददाता/कैमरामैन भी संलग्न हैं) तथा वे कम से कम 2 वर्षों से इस व्यवसाय में कार्यरत हों।
- (vi) 'समाचार पत्र' से अभिप्रेत है नियत कालिक प्रकाशन जिसमें सार्वजनिक मत के समाचार अथवा ऐसे समाचारों पर टीका-टिप्पणी अन्तर्विष्ट हो।
- (vii) समाचार मीडिया में सम्मिलित हैं समाचार पत्र, वायर एवं नानवायर समाचार एजेंसी, न्यूज/फीचर एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एजेंसी, न्यूज पोर्टल, जो जनहित में समाचारों और आलेखों का प्रकाशन/प्रसारण करते हैं;
- (viii) 'बिहार पत्रकार कल्याण कोष संचालन समिति' जिसके लिए आगे 'संचालन समिति' शब्द का प्रयोग किया गया है, से अभिप्रेत है ऐसी परामर्शदाता समिति जो राज्य में स्थित कार्यरत, अवकाश प्राप्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों को संकट/बीमारी के समय आर्थिक साहाय्य देने के संबंध में निर्णय लेगी।

7. अभिचालन समिति का गठन – इस नियमावली के तहत स्थापित किए जाने वाले पत्रकार कल्याण कोष के संचालन हेतु 'बिहार पत्रकार कल्याण कोष अभिचालन समिति' का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

8. अभिचालन समिति की कार्यकाल— अभिचालन समिति की कार्यकाल अधिकतम एक वर्ष का होगा। बिहार राजपत्र में प्रकाशित राज्यादेश द्वारा आवश्यकतानुसार अभिचालन समिति के कार्यकाल का विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा।

9. अभिचालन समिति में सदस्यों की संख्या— अभिचालन समिति में कुल 11 सदस्य होंगे।

10. इसके पदेन अध्यक्ष, प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग होंगे। इस समिति के 5 पत्रकार सदस्य होंगे इसमें उर्दू समाचार पत्रों से एक प्रतिनिधि अवश्य शामिल होंगे। इन्हें कम से कम दस वर्षों के पत्रकारिता का अनुभव हो। इनका मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

11. इसके पदेन उपाध्यक्ष निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग होंगे।

12. गृह विभाग तथा वित्त विभाग के प्रधान सचिव/सचिव द्वारा मनोनीत एक-एक पदाधिकारी (उप सचिव से अन्यून पंक्ति के) इस समिति के सदस्य होंगे।

13. पत्र सूचना कार्यालय/दूरदर्शन/आकाशवाणी में से एक पदाधिकारी इस समिति का सदस्य होगा।

14. इसके सदस्य सचिव संयुक्त निदेशक (प्रेस)/उप निदेशक (प्रेस) (संयुक्त निदेशक की अनुपस्थिति में), सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग रहेंगे।

15. समिति की बैठक सामान्यतः तीन माह में एक बार बुलायी जाएगी। बैठक की निर्धारित तिथि से स्थान, समय एवं तिथि का उल्लेख करते हुए 15 दिन पूर्व सूचना दी जायेगी। विशेष परिस्थिति में 24 घंटे की पूर्व सूचना पर आकस्मिक बैठक बुलाई जा सकेगी।

16. बैठक के लिए विद्यमान सदस्यों की संख्या के एक तिहाई सदस्यों का कोरम होगा।

17. बैठक समिति के अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी। अध्यक्ष की अनुमति से उपाध्यक्ष भी बैठक आहूत कर बैठक की अध्यक्षता कर सकेंगे। परन्तु समिति द्वारा प्राप्त अनुशांसा पर अध्यक्ष का अनुमोदन आवश्यक होगा।

18. पत्रकार कल्याण कोष के आधारभूत स्वरूप हेतु पूर्व में सरकार द्वारा तीन लाख रु० की राशि से शुरुआत की गई थी। वर्तमान में यह राशि सावधिक जमा के रूप में 1591800 एवं बचत खाता संख्या 10839123731 में 4113553 यानि कुल 5705353 रुपये भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा में जमा है। इस खाता का संचालन संयुक्त निदेशक (प्रेस) सह समिति के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

19. सरकार प्रति वर्ष स कोष में अनुदान दे सकती है और यह सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के बजटीय प्रावधान के अंतर्गत सुलभ करायी जा सकेगी। सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग उसको सहायता अनुदान के रूप में पत्रकार कल्याण कोष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेगा जिसे पूर्व से संधारित पत्रकार कल्याण कोष के बैंक खाते में जमा किया जायेगा। उक्त कोष में जमा राशि से ही संकटग्रस्त/बीमार, पत्रकारों एवं उनके आश्रितों को साहाय्य दिया जायेगा।

20. इस कोष में राशि की वृद्धि हेतु निजी व्यक्तियों/संस्थाओं/समाचार पत्र/पत्रिकाओं/एजेंसियों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/न्यूज पोर्टल/चैनलों के मालिकों /व्यवस्थापकों/प्रतिनिधियों आदि से दान प्राप्त किया जाएगा। इन स्रोतों से प्राप्त अनुदान की राशि समिति के बैंक खाते में रखी जायेगी। दान के रूप में राशि क्रॉस चेक/बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही प्राप्त की जायेगी, जिसे पत्रकार कल्याण कोष के खाते में जमा किया जाएगा।

21. इंवेस्टमेंट— कोष में संचित कुल राशि का अधिकतम 50 प्रतिशत राष्ट्रीयकृत बैंकों के सावधिक जमा खाते में रखा जाएगा। इसकी गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में की जाएगी।

22. इस कोष से दिवंगत पत्रकारों/छायाकारों आदि के आश्रितों को भी केवल एक बार अधिकतम पचास हजार रु0 साहाय्य प्रदान किया जायेगा।

23. इस कोष से जीवित एवं संकटग्रस्त/बीमार पत्रकारों को निम्नलिखित प्राथमिकता के आधार पर, साहाय्य उपलब्ध कराया जायेगा :-

(क) ऐसे कार्यरत/अवकाश प्राप्त पत्रकार/छायाकार या उनके आश्रित, जो बीमारी से ग्रस्त हो एवं चिकित्सा की सख्त आवश्यकता हो।

(ख) ऐसे कार्यरत/अवकाश प्राप्त पत्रकार/छायाकार को, जो स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण बेरोजगार हो गये हो, केवल एक बार अधिकतम पचास हजार रुपये साहाय्य उपलब्ध कराया जायेगा।

24. इस कोष से दिवंगत पत्रकारों/छायाकारों के आश्रितों में से किन्हीं एक को निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर साहाय्य उपलब्ध कराया जाएगा।

- 1- विधवा
- 2- बेरोजगार 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र
- 3- बेरोजगार कुंवारी पुत्री जो 21 वर्ष से कम आयु की हो।
- 4- पिता
- 5- माता

25. पत्रकारों/उनके आश्रितों की सहायता राशि एक बार में अधिकतम 15 हजार रु0 होगी। साथ ही, गंभीर बीमारी की स्थिति में राज्य में चिकित्सा कराने पर साहाय्य राशि अधिकतम 25 हजार रु0 एवं गंभीर बीमारी से ग्रस्त रहने पर, राज्य से बाहर चिकित्सा हेतु अधिकतम साहाय्य राशि 50 हजार रु0 होगी।

26. वित्तीय साहाय्य की मंजूरी, किसी भी समय रद्द कर दी जा सकती है यदि अभिचालन समिति को यह पता चले कि स्वीकृति गलती से या गलत व्यक्ति को दे दी गयी है अथवा वित्तीय साहाय्य छल-साधन करके प्राप्त किया गया है।

27. वित्तीय साहाय्य के लिए आवेदन, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के संयुक्त निदेशक (प्रेस)/उप निदेशक (प्रेस)-सह-सदस्य सचिव-अभिचालन समिति के पास विहित प्रपत्र में (परिशिष्ट 'क')वांछित अनुलग्नक (परिशिष्ट 'ख') सहित दिया जायेगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित में से किसी एक की अनुशंसा अनिवार्य होगी:-

- (क) जिस संस्थान में पत्रकार/छायाकार कार्यरत हो उनके सम्पादक/व्यवस्थापक/प्रबंधक की अनुशंसा।
- (ख) बिहार श्रमजीवी पत्रकार संघ/बिहार नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट/अन्य निबंधित पत्रकार संघ के अध्यक्ष या सचिव की अनुशंसा।
- (ग) संबंधित जिलाधिकारी या जनसंपर्क पदाधिकारी की अनुशंसा।
- (घ) अभिचालन समिति के किसी सदस्य की अनुशंसा।
- (ङ) संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा।

28. बीमारी के सन्दर्भ में वित्तीय साहाय्य प्राप्त करने के लिए चिकित्सक के प्रमाण पत्र पर ही साहाय्य दिया जायेगा। राज्य से बाहर चिकित्सा कराने पर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान के चिकित्सक प्रमुख से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

29. इस कोष से किसी पत्रकार अथवा उनके आश्रित को जीवन के दौरान अधिकतम दो बार ही वित्तीय साहाय्य दी जाएगी।

30. सभी आवेदन, बिहार राज्य पत्रकार कल्याण कोष अभिचालन समिति के विचारार्थ उसकी बैठक में उपस्थापित किये जायेंगे। अभिचालन समिति प्रत्येक आवेदन की पात्रता/अपात्रता पर विचार कर निर्णय लेगी।

31. आवेदन प्रपत्र (परिशिष्ट 'क') पूर्ण रूपेण सभी आवश्यक कागजात के साथ, भरा होना आवश्यक है।

32. जो विषय इस नियमावली से अच्छादित नहीं हैं। उनके संबंध में अभिचालन समिति की अनुशंसा के आधार पर विभागीय मंत्री का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

33. (1) पत्रकार कल्याण कोष अभिचालन समिति के उपाध्यक्ष, टी0सी0 फार्म-6 की तरह ही एक रोकड़ बही संधारित करेंगे, जिसमें पत्रकार कल्याण कोष से संबंधित सभी लेन-देन दर्ज किये जायेंगे तथा किसी भी तरह का दान प्राप्त करने पर इसकी प्राप्ति रसीद संबंधित व्यक्ति को देंगे।

(2) उसके लेखा का अंकेक्षण वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा प्रतिवर्ष किया जायेगा जिसके लिए उपाध्यक्ष अभिचालन समिति आवश्यक समन्वय करेंगे।

(ह0)/-अस्पष्ट,  
सरकार के सचिव।

## परिशिष्ट-‘क’

बिहार पत्रकार कल्याण कोष से वित्तीय साहाय्य हेतु आवेदन प्रपत्र

सेवा में,

संयुक्त निदेशक(प्रेस)  
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग,  
बिहार, पटना।

1. पूरा नाम :-
2. जन्मतिथि :-
3. पता :-  
(क) स्थायी पता :-
- (ख) पत्राचार का पता :-
4. जीवित पत्रकारों/छायाकारों के संबंध में :-  
(क) पत्रकारों के रूप में सेवा का विस्तृत विवरण :-  
(ख) क्या रूग्णता से ग्रस्त हैं या रूग्णता के कारण अनियोजित है (नियम के आलोक में चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-  
(ग) क्या अधिक आयु हो जाने के कारण अनियोजित हैं :-  
(घ) क्या किसी अन्य कारण से अनियोजित है :-
5. पत्रकारों के आश्रितों के संबंध में :-  
(क) दिवंगत पत्रकार का पत्रकारिता में योगदान का विस्तृत विवरण :-  
(ख) आवेदक का दिवंगत पत्रकार से संबंध :-  
(विधवा, बेरोजगार पुत्र/बेरोजगार कुंवारी पुत्री, जो 21 वर्ष से अधिक के न हो/पिता/माता)  
(ग) आवेदक की आयु एवं जन्म तिथि :-
6. (क) मैं एतद् द्वारा घोषण करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सभी सूत्रों से वार्षिक आय..... रु0 है।  
(ख) ऊपर दिये गये सभी विवरण मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है।

स्थान :-

तिथि :-

आवेदक का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-‘ख’

(आवेदन निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा अनुशंसित होना आवश्यक है)

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/बिहार श्रम जीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष या सचिव/नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बिहार के अध्यक्ष अथवा सचिव/अन्य निबंधित पत्रकार के अध्यक्ष अथवा सचिव/जिला पदाधिकारी/जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी/जिस संस्थान में पत्रकार/छायाकार कार्यरत हो, उनके संपादक/व्यवस्थापक/प्रबंधक की अनुशंसा/अभिचालन समिति के किसी सदस्य की अनुशंसा।

**अनुशंसा**

..... के आवेदन में वर्णित तथ्यों के संबंध में आवश्यक छानबीन कर ली है जिस संबंध में मेरा प्रतिवेदन निम्नांकित है :-

- (1) आवेदक पत्रकार कल्याण कोष से सहायता के पात्र हैं।
- (2) आवेदक का स्वास्थ्य खराब रहने/अत्यधिक आयु हो जाने के कारण अनियोजित है अथवा अन्य किसी वजह से जीवकोपार्जन में असमर्थ हैं।
- (3) आवेदक स्वर्गीय श्री/श्रीमती.....पत्रकार/छायाकार की विधवा, बेरोजगार पुत्र/बेरोजगार कुंवारी पुत्री/पिता/माता हैं एवं उनके आश्रित हैं।
- (4) आवेदक की आयु उनके द्वारा प्रस्तुत जन्म तिथि प्रमाण पत्र के अनुसार/अथवा उसके द्वारा दर्शाए गए अन्य सुसंगत अभिलेख के अनुसार..... है।
- (5) आवेदक की वार्षिक आय..... है।
- (6) आवेदक द्वारा दिये गए तथ्य एवं अंक मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही हैं।

अनुशंसाकर्ता का हस्ताक्षर

पदनाम  
तिथि

*The 19th July 2010*

The Bihar Journalist Welfare Fund Rules – 2010

(Rules regarding the establishment of Journalist Welfare Fund to help and to aid Journalists by the Government of Bihar)

No-Press-311/08-39-380 I&PR—In exercise of its executive powers conferred under Article 162 of the Constitution of India the state government makes the following Rules:-

1. Title-It shall be called the Bihar Journalist Welfare Fund Rules, 2010 for providing aid/medical treatment to the media representatives/photographers working at the Bihar State Headquarter and at district/subdivision/block level.

2. Under these Rules the journalists/photographers of the State of Bihar shall be provided economic aid during financial crisis/medical treatment.

3. Date of commencement – These Rules shall come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

4. All orders/instructions relating to subject issued earlier including the Journalist Welfare Fund Rules, 1981 shall be hereby superseded by this policy of the Journalist Welfare Fund.

Notwithstanding the super session of such orders/instructions, any work done or any action taken in exercise of the powers conferred under the said orders/instructions shall be deemed to be done or taken under the powers conferred by this policy as if the policy was enforced on that day when such work was done or such action was taken.

5. Amendment – The State Government shall assess the implementation of this policy from time to time and may amend as necessary.

6. Definitions – In these Rules Unless otherwise required in the subject and context;

(i) 'Fund' means the Journalist Welfare Fund.

(ii) 'State' means the State of Bihar.

(iii) 'Government' means the Government of Bihar.

(iv) 'Director' means the Director, Information and Public Relations, Government of Bihar.

(v) 'Journalist' means the Journalist/Photographer/Editor/News Editor/Sub Editor/ Cartoonist as per Working Journalist Act, 1955 (as amended and defined from time to time) who are affiliated to any daily/weekly/fortnightly news paper/ magazine/agency/electronic media/news portal/channel/news agency etc. (including press reporters/cameramen on contract/stringer)and they must be in the profession for at least two years.

(vi) 'News paper' means a regular publication containing news of the public opinion or comments on such news.

(vii) The news media includes news papers, wire and non-wire, news agency news/feature agency, electronic media, electronic media agency, news portal which publish news and write-ups in public interest.

(viii) 'Bihar Journalist Welfare Fund Steering Committee' hereinafter referred as 'steering committee' means such advisory committee which will take decision on financial aid to the working, retired journalists of the State and their dependents at the time of crisis/illness.

7. Constitution of the Steering Committee – The 'Bihar Journalist Welfare Fund Steering Committee' shall be constituted by the State Government for operating

Journalist Welfare Fund to be established under these Rules. A notification shall be issued by the State Government in this regard.

8. Term of the Steering Committee – The maximum term of the steering committee shall be of one year. The term of the steering committee may be extended for a specified period, as per the need, by a Govt. order published in the Bihar Gazette.

9. Number of the members in the Steering Committee – There shall be a total of eleven members in the Steering Committee.

10. The Principal Secretary/Secretary, Information and Public Relations Department shall be its ex-officio chairman. In this committee there shall be five members (in which one member would be from Urdu News Papers) from journalists having at least ten years of experience in journalism. They will be nominated by the State Government.

11. The Director, Information and Public Relations Department shall be its ex-officio Deputy Chairman.

12. One Officer (not below the rank of Deputy Secretary) each, nominated by the Principal Secretary/Secretary of Home Department and Finance Department shall be the member of this committee.

13. An officer nominated by Director in-charge of Press Information Bureau shall be the member of this committee.

14. Joint Director-Press/ Deputy Director-Press (In absence of Joint Director-Press) shall be its Member Secretary.

15. Normally, the meeting shall be convened once in three months. A notice of at least fifteen days before the scheduled meeting will be served on the members mentioning the date, time and venue of the meeting. In special circumstances an emergency meeting may be convened on 24 hours prior notice.

16. One third of the existing members shall form the Quorum for a meeting.

17. The meeting shall be convened by the Chairman of the committee. The Deputy Chairman, with the permission of the Chairman may also convene and preside a meeting. Provided that, the recommendation received from the committee, must be approved by the Chairman.

18. Earlier, basic structure of the Journalist Welfare Fund was initiated by the Government with an amount of Rs. three lac. At present the total amount of Rs. 5705353/- is deposited in Secretariat branch of State Bank of India out of which Rs. 1591800/- is as a fixed deposit and Rs. 4113553/- in saving account no. 10839123731. The account will be operated by Joint Director, Press cum member Secretary of the committee.

19. The government may provide a yearly grant to the fund and this shall be incorporated in the budgetary provision of the Information and Public Relations Department.

20. Donations shall be received from owners/ managers/ representatives of private persons/ institutions/ newspapers/ magazines/ agencies/ electronic media/news portal/ channels for the enhancement of the amount in this fund. The donations received from these sources shall be deposited in the bank account of the committee. The donations shall be received only in the form of crossed cheques/bank drafts and to be deposited in the account of Journalist Welfare Fund.

21. Investment – A maximum 50% of the total deposit in the fund shall be kept in a fixed deposit accounts of nationalised banks. It shall be calculated at the beginning of each financial year.

22. Out of this fund the dependents of the deceased journalists/photographers shall also be provided an aid of maximum Rs. fifty thousand only once.

23. The living and distressed/ailing journalists shall be provided aid out of this fund on the following priorities-

(a) Such working/retired journalist/photographers or their dependents who are suffering from disease and need urgent treatment.

(b) Such working/retired journalists/photographers, who have been rendered unemployed due to ill health, shall be provided maximum Rs. fifty thousand aid only once.

24. From this Fund, aid shall be provided to any one of the dependents of deceased journalists/photographers on the basis of the following priorities.

1. Widow
2. Unemployed son below the age of 21 years
3. Unmarried and unemployed daughter below the age of 21 years
4. Father
5. Mother

25. The amount of aid to the journalists/their dependents shall be maximum of Rs. 15 thousand at a time. However in case of serious illness the maximum amount of aid shall be Rs. 25 thousand for treatment in the State and Rs. 50 thousand for treatment outside the State.

26. If it comes to the notice of the steering committee that the sanction has been granted by mistake or to an improper person or the financial aid has been obtained by manipulation, the sanction of financial aid may be cancelled at any time.

27. The application for the financial aid shall be submitted, in prescribed form (Appendix A) with desired enclosures (Appendix B), to the Joint Director (Press)/Deputy Director (Press) Information and Public Relations Department-cum-Member Secretary of the Steering Committee. The recommendation of anyone of the following shall be essential with the application:-

- (a) Recommendation of the Editor/Organiser/Manager of the institution where journalist/photographer is working.
- (b) Recommendation of the Chairman or Secretary of the Bihar Working Journalist Union/Bihar National Union of Journalists/any registered Journalist Union.
- (c) Recommendation of the concerned District Magistrate or Public Relations officer.
- (d) Recommendation of any member of the Steering Committee.
- (e) Recommendation of the Block Development Officer of the concerned block.

28. The financial aid in respect of illness shall be granted only on the certificate of a doctor. In case of treatment outside the state it shall be essential to submit the medical certificate obtained from the Doctor-in-chief of the medical institution.

29. The financial aid, out of this fund, to any journalist or his/her dependent shall be granted only twice during his life time.

30. All the applications shall be placed in the meeting of the Steering Committee of the Bihar State Journalist Welfare Fund for consideration. The Steering Committee shall make a decision after considering the eligibility/non-eligibility of each application.

31. The application form (Appendix A) must be duly filled up and accompanied with all necessary documents.



32. For the matters not covered in these Rules, the necessary approval of the Departmental Minister shall be obtained on the basis of the recommendation of the Steering Committee.

33. (i) The Deputy Chairman of the Steering Committee of the Journalist Welfare fund shall maintain a cash book similar to that in T.C. Form-6 and all the transaction of the Journalist Welfare Fund that be entered into it and after receiving any donation shall grant a receipt to the persons concerned.

(ii) Its accounts shall be audited every year by the Finance (Audit) Department for which the Deputy Chairman of the Steering Committee shall make the necessary coordination.

By order of the Governor of Bihar,  
(Sd.) Illegible,  
Secretary.

#### APPENDIX "A"

(Proforma for application for Financial Aid from Bihar Journalists Welfare Fund)

To

The Joint Director (Press)  
Information and Public Relations Department,  
Bihar, Patna.

1. Full Name-
2. Date of Birth-
3. (a) Permanent Address-  
(b) Correspondence Address-
4. Details of living Journalists / Photographers:-  
(a) Full details of the service of the Journalists / Photographers.  
(b) If unemployed due to health/ illness or are in grip of illness (Please attached the certificate from Doctor's as pertaining in Rule).  
(c) If unemployed, due to other reasons.
5. Dependent of the Journalists:-  
(a) Full details regarding service of the deceased Journalists / Photographers,  
(b) Relation of the applicant to the deceased Journalists / Photographers (Such as-Father/ Mother/ Unemployed Son/ Unemployed Unmarried Daughter below the age of 21 years.)  
(c) Date of birth of the applicant:-
6. Declaration:-  
(a) I do here by declare that my annual income from all sources are-----  
-----Rs.  
(b) Facts and figures given above are true to my knowledge and belief.

Place

Date-

Signature of  
the applicant

## APPENDIX "B"

The application for the financial aid shall be submitted with the recommendation of one of the following:-

- a. Recommendation of the editor / organizer / manager of the institution/ where Journalist/ photographer is working.
- b. Recommendation of the Chairman or Secretary of the Bihar working Journalist Union/ Bihar National Journalist Union/ any registered Journalists Union.
- c. Recommendation of the concerned D.M/ D.P.R.O
- d. Recommendation of any member of the steering committee.
- e. Recommendation of the Block Development Officer of the concerned Block.

## Recommendation

I do here by certify that facts and figures given in the application are true to my belief and knowledge:-

1. Applicant is fit for financial aid from Bihar working Journalist fund.
2. Applicant is unable to serve the office or unemployed due to ill health / over age / or for other reasons.
3. Applicant is the (Father/ Mother/ Unemployed Son/ Unemployed Unmarried Daughter) of the deceased Journalists/ Photographers.
4. The age of the applicant is true according to his / her birth certificate/ or other relevant papers shown by him /her.
5. Annual income of the applicants-----Rs.
6. Facts and figures given by the applicants is true to my belief and knowledge.

Signature and Stamp of the  
recommendation Authority.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 510-571+2500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>